

11/22
पत्रावली

पत्रावली आज फेश हुई वकील पार्थीनी अस्थिता
विपार्थीगण अनुपस्थिता विपार्थीगण को कोर्ट सभ्य
में तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गई बाक्य
आवाजे दिलाने के विपार्थीगण अनुपस्थिता अतः
विपार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की
जाती है। पत्रावली पर वकील पार्थीनी की
बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन
किया गया। इस न्यायालय द्वारा जारी
ऑररिस निषेधाज्ञा दिनांक 18/11/2019 का
जिसका कन्फर्म की जाती है। पत्रावली
निर्णय शुमार होकर मूल वाद के साथ
नट्ठी हो।

(Signature)

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालान

